प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.03.2025

थाना लोनी पुलिस द्वारा मारपीट व जान से मारने की कोशिश करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध एक देशी पिस्टल .32 बोर मय 04 जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद ।

दिनांक 21.02.2025 को वादिया श्रीमति पुष्पा पंवार पत्नी स्व० श्री सोनू पंवार निवासी- खजुरी खास दिल्ली द्वारा एक लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया कि अभियुक्तगण 1.अमन खान पुत्र इरशाद 2.आसिया उर्फ आयसा पत्नी अमनखान 3.इम्मू पुत्र अमन खान निवासी लोनी द्वारा वादिया का गला दबाना व अभियुक्त अमन द्वारा वादिया पर जान से मारने की नियत से पिस्टल से हमला करना जिससे वादिया का बच जाना । जिसके संबंध में थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में मु0अ0सं0 107/2025 धारा 115(2)/109 BNS पंजीकृत किया गया व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी ।

आज दिनांक 18.03.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अमन खान पुत्र इरशाद निवासी अमन गार्डन फेस 2 निठौरा रोड थाना लोनी गा0बाद उम्र 50 वर्ष को चैकिग के दौरान चौकी क्षेत्र अशोक विहार से मय घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 04 जिंदा कारतूस .32 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी । अभि0 के अन्य साथियो की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा श्रीमति पुष्पा पंवार पत्नी स्व० श्री सोनू पंवार उपरोक्त से अमन गार्डन फेस-2 निठोरा रोड लोनी में प्लाट पर कब्जा करने की बात को लेकर झगडा हो गया था । जिसमें मैंने मुकदमा वादिया के साथ मारपीट की व इसी देशी पिस्टल .32 बोर से श्रीमति पुष्पा के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया जो मिस हो गया था और मैं मौके से भाग गया था । झगडे के दौरान मेरी पत्नी व बेटा भी मौके पर मौजूद थे । मेरे ऊपर थाना लोनी पर बलवा, हत्या का प्रयास,मारपीट,गाली गलौच ,धमकी, अवैध कब्जा, धोखाधडी के सम्बध में कई अभियोग पंजीकृत है। मैं इस पिस्टल को लोगो को डराने धमकाने के लिए अपने पास रखता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अमन खान पुत्र इरशाद निवासी अमन गार्डन फेस 2 निठौरा रोड थाना लोनी गा0बाद उम्र 50 वर्ष,

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध बलवा,हत्या का प्रयास, मारपीट,गाली गलौच,धमकी, अवैध कब्जा,धोखाधडी व अवैध शस्त्र के कुल 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.03.2025 को वादी द्वारा थाना अंकुर विहार पर प्रार्थना-पत्र दिया कि पडोस में रहने वाला समीर पुत्र फुरकान मेरी पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर तत्काल मु0अ0सं0 0117/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर लडकी की सकुशल बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। तत्पश्चात दिनांक 14.03.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

दिनांक 17.03.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त समीर पुत्र मौ0 फुरकान निवासी-ईदगाह के पास अल्वीनगर थाना अंकुर विहार गा0बाद उम्र 19 वर्ष को नसबन्दी तिराहा चौकी क्षेत्र डाबर तालाब से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त समीर उपरोक्त द्वारा बताया गया कि साहब मैं और पीडिता हम दोनों एक ही मौहल्ले में रहते है तथा करीब 1.5 वर्षो से एक दूसरे को जानते है। मैं पीडिता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

समीर पुत्र मौ0 फुरकान निवासी-ईदगाह के पास अल्वीनगर थाना अंकुर विहार गा0बाद उम्र 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मोबाइल छिनैती करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 18.01.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा लिखित सूचना दी कि ई-रिक्शा से जाते वक्त किसी व्यक्ति द्वारा मेरा मोबाइल फोन छीन लिया गया। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 304(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 18.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त सोनू पुत्र सतपाल हाल पता राधा कृष्ण मन्दिर के सामने हैबतपुर थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर मूल निवासी ग्राम सपनावत थाना कपूरपुर जिला हापुड उम्र 40 वर्ष को दौराने गश्त/चैकिंग ताज हाईवे के किनारे माया फार्म हाउस रोड के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि इस मोबाइल फोन को कुछ माह पहले मै रात्रि के समय ई रिक्शे मै बैठकर आ रही महिला से तिगरी गोल चक्कर से छीन कर भाग गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

सोनू पुत्र सतपाल हाल पता राधा कृष्ण मन्दिर के सामने हैबतपुर थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर मूल निवासी ग्राम सपनावत थाना कपूरपुर जिला हापुड, उम्र 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

छीना गया मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास-

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.03.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त फैजान पुत्र नजाकत नि0 मौ0 कच्ची सराय कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को रावली कट से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं अपने साथियो के साथ मिलकर गिरोह बनाकर लूट, चोरी के अपराध कारित करता हूँ तथा पूर्व में अपने साथियों के साथ लूट, चोरी के अभियोग में जेल जा चुका हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फैजान पुत्र नजाकत नि0 मौ0 कच्ची सराय कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर लूट/चोरी/आर्म्स एक्ट/गैंगस्टर एक्ट के कुल 07 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.01.2025 को वादी द्वारा थाना मुरादनगर पर तहरीर दी गई कि थाना मुरादनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित एक प्लाट खसरा नं0-231 स्थित ग्राम मुरादपुर पुरसी मुरादनगर को अभियुक्त सचिन पुत्र बाबू लाल नि0 बिचपटा मौहल्ला मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष द्वारा उपरोक्त प्लाट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी को प्लाट का अनुबंध कर अन्य किसी व्यक्ति को बेचकर वादी के साथ धोखाधडी कर 03 लाख रुपये हड़प लेना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर धारा - 318(4),316(2),338, 336(3), 340(2),352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी थी ।

तत्पश्चात आज दिनांक 18.03.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सचिन पुत्र बाबू लाल नि0 बिचपटा मौहल्ला मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष को सक्को वाली गली मे स्थित दुकान से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मेरे भाई के नाम खसरा न0 231 ग्राम मुरादपुर पुर्सी मुरादनगर में प्लाट है मैने उस प्लाट के कूटरचित कागज बनवाकर मुकदमे के वादी को धोखाधडी मे लेकर प्लाट के अनुबंध पत्र बनवाकर वादी को उक्त प्लाट बेचने को लेकर उससे 03 लाख रुपये ले लिये ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

सचिन पुत्र बाबू लाल नि0 बिचपटा मौहल्ला मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम ।

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा शिवचंडी मंदिर स्थित गौशाला लोहियानगर में मांस रखकर धार्मिक उन्माद व दंगा कराने की साजिश रचने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक 12.03.25 को रात्रि लगभग 10 बजे श्री पवन तोमर पुत्र स्व श्री प्रमोद तोमर नि0 म0नं0 170, गली नं0 5, चरण सिंह कालोनी, गाजियाबाद (गौ सेवक एवं पशु संरक्षण कर्ता) को मो0नं0 9711676035 से सूचना मिली कि लोहियानगर स्थित गौशाला में गौमांस व पशुओं का मांस रखा हुआ है । सूचना पर पवन उपरोक्त द्वारा दिनांक 13.03.25 को थाना सिहानीगेट पुलिस को उपरोक्त सूचना देते हुए स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंच कर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया । जिसके क्रम में उपरोक्त मांस को मौके पर ही नियमानुसार कब्जा पुलिस लेकर राजकीय पशु चिकित्सालय सदर गाजियाबाद में परीक्षण हेतु भिजवाया गया । बाद परीक्षण उक्त मांस भैंस या उसके वंशज का पाया गया । उपरोक्त दिए गए प्रार्थना पत्र की जांच में प्रकाश में आए मुख्य सूचनाकर्ता के मो0नं0 9711676035 की सीडीआर एवं सीसीटीवी कैमरा व मैनुएल इनपुट से संकलित साक्ष्यों के क्रम में उपरोक्त घटना छाया शर्मा पुत्री नन्दकिशोर शर्मा, नि0 शिवचंडी मंदिर लोहियानगर, थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद के कहने पर योगेश चौधरी पुत्र लोकेश चौधरी, नि0 ग्राम जहांगीरबाद, थाना जहांगीराबाद बु0शहर व ऋषभ व शिवम पुत्रगण संतपाल निवासीगण ग्राम अजनारा, तहसील शिकारपुर, बु0शहर, समस्त प्रतिवादी हाल पता –

1202 ए, यूनिनव हाईट्स राजनगर एक्सटेंशन, थाना नन्दग्राम गाजियाबाद, नन्दकिशोर शर्मा पुत्र स्व0 रामचरण, नि0 शिवचंडी मंदिर लोहियानगर, थाना सिहानीगेट गाजियाबाद के द्वारा पूर्व से विवादित शिव चंडी मंदिर स्थित गौशाला में अपना संपूर्ण कब्जा करने के लिए सुनियोजित तरीके से छाया शर्मा उपरोक्त द्वारा उपरोक्त के साथ मिलकर होली के त्यौहार से एक दिन पूर्व धार्मिक उन्माद व दंगा फैलाने के उद्देश्य से मांस को रखवाया गया था। इस संबंध में अरूण भारद्वाज द्वारा थाना सिहानीगेट पर धार्मिक उन्माद व दंगा फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवादी छाया शर्मा आदि के विरूद्ध मु0अ0सं0 0084/25 धारा 248(ए), 353(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

दौराने विवेचना एवं पवन शर्मा उपरोक्त द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की जांच के अनुक्रम में पाया कि शिव चंडी मंदिर गौशाला को अरूण भारद्वाज से खाली कराए जाने के लिए छाया शर्मा द्वारा सुनियोजित तरीके से अपने साथी अभियुक्त योगेश, ऋषभ व शिवम उपरोक्त के माध्यम से उपरोक्त मांस को हिण्डन विहार स्थित मांस की दुकान से खरीदवाकर शिव चंडी मंदिर स्थित गौशाला में रखवाते हुए स्वयं ही पूर्व सुनियोजित षडयंत्र के तहत छाया शर्मा उपरोक्त द्वारा अपने सह अभियुक्त योगेश चौधरी से एक फोन में सिम डलवाकर सूचना गौरक्षा दल के संरक्षक पवन तोमर उपरोक्त को गौशाला में गौमांस डाले जाने की सूचना देते हुए उपरोक्त नम्बर को उसी रात्रि में बन्द कर दिया गया। उपरोक्त घटना को सुनियोजित तरीके से धार्मिक उन्माद व दंगा फैलाने के उद्देश्य से मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्ता/ अभियुक्त छाया शर्मा, योगेश चौधरी, ऋषभ, शिवम, नन्दकिशोर शर्मा में से अभियुक्त योगेश व शिवम को लोहियानगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण योगेश व शिवम उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब हम दोनों शिवम के भाई ऋषभ के साथ मिलकर छाया शर्मा के कहने पर मांस को ऋषभ व हम दोनों हिण्डन विहार से खरीद कर लाए थे, तथा छाया शर्मा व उसके पिता के द्वारा बतायी गयी पूर्व सुनियोजित योजना के अनुसार दिनांक 12.03.25 की रात्रि में उपरोक्त मांस को शिव चंडी मंदिर स्थित गौशाला में रखा था, तथा शिवम ने बताया कि उपरोक्त सूचना योगेश द्वारा नए नम्बर से गौ सेवक पवन तोमर को देकर उपरोक्त नम्बर बंद कर दिया गया। जिसके बाद पवन तोमर ने पुलिस को सूचना दे दी थी। जिससे धार्मिक उन्माद जैसी घटना हो सके और शिव चंडी गौशाला पर छाया शर्मा व उसके परिवार का कब्जा हो सके।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. योगेश चौधरी पुत्र लोकेश चौधरी, नि0 ग्राम जहांगीरबाद, थाना जहांगीराबाद बु0शहर, हाल पता – 1202 ए, यूनिनव हाईट्स राजनगर एक्सटेंशन, थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
2. शिवम पुत्र संतपाल निवासीगण ग्राम अजनारा, तहसील शिकारपुर, बु0शहर, हाल पता – 1202 ए, यूनिनव हाईट्स राजनगर एक्सटेंशन, थाना नन्दग्राम गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11.03.2025 नाली के पानी निकालने को लेकर आपस में मारपीट , पथराव व फायरिंग कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

दिनांक 11.03.25 को नाली के पानी निकाले को लेकर 02 पक्षो में मारपीट , पथराव एवं फायरिंग हुई थी। जिसमें थाना विजयनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मु0अ0स0 145/2025 धारा 191(2)/191(3)/190 / 115(2)/125/125(b)/132/109/352/351(2) बीएनएस व धारा 7 आराधिक कानून (संसोधन) अधिनियम 1932 पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 11.03.25 को मौके से 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक को पंजीकृत अभियोग में नामित अभियुक्त जाहिद पुत्र जुल्फिकार नि0 नूरानी मस्जिद मिर्जापुर सै012 प्रताप विहार थाना विजयनगर गा0बाद को गांव रठौल थाना खेखड़ा जनपद बागपत से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. जाहिद पुत्र जुल्फिकार नि0 नूरानी मस्जिद मिर्जापुर सै012 प्रताप विहार थाना विजयनगर गा0बाद उम्र 36 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक तमंचा 315 बोर
2. एक कट्टे में ईट, पत्थर एवं डंडे
3. दो खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीमः –

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 18.03.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त मो0 सफीक पुत्र नूर मेहम्मद निवासी ग्राम आसी थाना बिरोल जनपद दरभंगा बिहार हाल पता म0नं0 724 तृतीय तल सैक्टर-3 वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष को एक अवैध चाकू सहित महागुन मॉल के पास पार्क के सामने वैशाली थाना कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मो0 सफीक के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मो0 सफीक उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त मो0 सफीक राह चलते व्यक्तियों के बैग से सामान चुराता है पकड़े जाने पर चाकू दिखाकर भाग जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

मो0 सफीक पुत्र नूर मेहम्मद निवासी ग्राम आसी थाना बिरोल जनपद दरभंगा बिहार हाल पता म0नं0 724 तृतीय तल सैक्टर 3 वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त मो0 सफीक के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट का 25000/- रूपये का ईनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.03.2025 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में 25000/- रूपय के इनामी वांछित अभियुक्त को थाना मधुबन बापूधाम की पुलिस टीम द्वारा लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर दुहाई पैरीफेरल के पास से गिरफ्तार किया गया है। जो थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था।

नाम पता अभियुक्त गण –

1-शिवम पाल पुत्र नेपाल सिंह निवासी ग्राम आलमपुर बुजुर्ग थाना मुडाली जनपद मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवम पाल

अभियुक्त शिवम पाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर 01 अभियोग अवैध शस्त्र (पिस्टल/तमंचा) बनाने व 01 अभियोग गैंगेस्टर एक्ट का कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम –

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 560 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 18.03.2025 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग एवं मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त अमित पुत्र भगवत नि0 ग्राम इमोली थाना कोतवाली अमरोहा जिला अमरोहा को कोटगांव तिराहे के पास थाना विजयनगर से गिरफ्तार किया गया व कब्जे से 560 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं गांजे की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर उन्हे चलते फिरते व्यक्तियों को बेच देता हूं। आज भी मैं अपने माल को बेचने के लिये घूम रहा था कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अभियुक्त से बरामद गांजे के बारे में पूछा तो बताया कि साहब गांजा मुझे हर बार कोई नया व्यक्ति देता है। जिसे मैं नही जानता हूं।

नाम पता अभियुक्त-

अमित पुत्र भगवत नि0 ग्राम इमोली थाना कोतवाली अमरोहा जिला अमरोहा उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

अभियुक्त के कब्जे से 560 ग्राम नाजायज गांजा बरामद।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार व कब्जे से चोरी के 17000/- रूपये बरामद।

दिनांक 17.03.2025 को थाना विजयनगर पर वादी श्री रामलड़ेते की तहरीर जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला तोड़ कर जेवरात ,रूपये एवं कीमती सामान चोरी करने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला तहरीर पर थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत कर अज्ञात चोर की तलाश हेतु टीम गठित की गयी। जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 18.03.2025 को थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सुरजीत पुत्र कालीचरण नि0- सजवान नगर थाना विजयनगर गा0बाद व अभियुक्ता 02. अरमाना पुत्री नईम नि0- सजवाननगर थाना विजयनगर गा0बाद को सजवाननगर की तरफ से सिद्धार्थ विहार के पास से गिरफ्तार किया गया व कब्जे से चोरी किये गये सामान को बेचकर प्राप्त किये गये 17000/- रूपये बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग बन्द घरो के ताले तोड़ कर उसमें घुस कर कीमती जेवरात , सामान , रूपये आदि चोरी कर लेते है तथा आपस में बराबर बांट लेते है। कल भी हमने सजवान

नगर के एक घर में चोरी की थी। आज भी हम किसी वारदात को अंजाम देने के लिये घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये।

नाम पता अभियुक्त

1. सुरजीत पुत्र कालीचरण नि0- सजवान नगर थाना विजयनगर गा0बाद उम्र 28 वर्ष ।
2. अरमाना पुत्री नईम नि0- सजवाननगर थाना विजयनगर गा0बाद उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. 17000/- रूपये चोरी के बरामद।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।